# कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्याः 181 /ब्वा0–25 दिनांकः 25/2/2025

**उप श्रमायुक्त, संख्या,**
मुख्यालय, कानपुर।

कृपया ब्वायलर निदेशालय को प्रेषित Business Reform Action Plan (BRAP) Plus, 2024 से सम्बन्धित अभिलेख का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में Third Party Inspection की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है एवं प्रचलन में है।

Third Party Inspection की अधिसूचना एवं Third Party Inspection हेतु अधिकृत निरीक्षण प्राधिकारियों की सूची पत्र के साथ संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त।

25-02-25
( अर्जुन सिंह )
सहायक निदेशक ब्वायलर्स, उत्तर प्रदेश,
कृते निदेशक ब्वायलर्स, उत्तर प्रदेश।

547
28/02/25

उत्तर प्रदेश शासन,

श्रम अनुभाग--3

संख्या– 11 / 2017 / 545 / 36--03--2017--29(सा0) / 14 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 16 जून, 2017

## अधिसूचना

चूंकि बायलर की सामग्री, डिजाइन या निर्माण और राज्य के त्वरित औद्योगिकीकरण की आवश्कयता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उसे ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब बायलर अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1923) की धारा 34 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार, एतदद्वारा उक्त अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के उपबंधों के अनुसार बायलरों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अति दबाव, निम्न जल स्तर एवं प्रज्जवलन चूक आदि के प्रति संरक्षण के लिए सुरक्षा प्रणाली वाले समस्त बायलरों को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5), धारा 10 की उपधारा (1), धारा 12 और धारा 13 के उपबन्धो के प्रवर्तन से अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तो एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन छूट प्रदान करती है:–

## अनुसूची

1. भारतीय बायलर विनियम, 1950 के तकनीकी उपबंधों के अनुसार प्रतिवर्ष बायलर व बायलर संघटकों का निरीक्षण, बायलर स्वामी द्वारा ऐसे तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण के माध्यम से कराया जायेगा, जो केन्द्रीय बायलर बोर्ड, भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत हो।

स्वप्रमाणीकरण, तृतीय पक्षकार निरीक्षण प्रणाली का उद्देश्य भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 के अधीन कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से समझौता किये बिना "कारबार करने की सुगमता" में वृद्धि करना है।

(क) स्वप्रमाणीकरण / तृतीय पक्षकार निरीक्षण वैकल्पिक होगा और कोई नियोक्ता / उद्यमकर्ता संलग्नक-दो के अनुसार विवरण तथा अनुलग्नक--तीन में यथा विहित वचनपत्र सहित अनुलग्नक-एक में प्रदत्त विहित प्रारुप में निदेशक, बायलर उत्तर प्रदेश को आनलाइन आवेदन करके इस स्वप्रमाणीकरण / तृतीय पक्षकार निरीक्षण का चयन कर सकता है। आवेदन पत्र या संलग्नकों में किसी विसंगति की सूचना आवेदक को कार्यालय, निदेशक, बायलर, उत्तर प्रदेश में आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार कोई विसंगति संसूचित न किये जाने की स्थिति में आवेदक को उपर्युक्त स्वप्रमाणीकरण / तृतीय पक्षकार निरीक्षण के अधीन नामांकित किया गया समझा जायेगा।

(ख) उक्त स्वप्रमाणीकरण / तृतीय पक्षकार निरीक्षण के लिए नामांकित किये जाने के पश्चात सम्बंधित नियोक्ता / उद्यमकर्ता को अपेक्षित दस्तावेजों और सूचना सहित

अनुलग्नक—चार में प्रदत्त प्रारूप में स्वप्रमाणीकरण विवरणी दाखिल करनी होगी। बायलर का निरीक्षण किये जाने के 30 दिन के भीतर विवरणी आनलाइन भरनी होगी।

(ग) विहित विवरणी में प्रदत्त वास्तविक सूचना वही होगी जैसाकि विवरणी दाखिल किये जाने के दिनांक को हो। नियोक्ता/उद्यमकर्ता के लिए यथा प्रयोज्य समस्त विधियों का अनुपालन करने का वचनपत्र अगले एक वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होगा ।

स्वप्रमाणीकरण तृतीय पक्षकार निरीक्षण हेतु एक बार चयनित किये जाने पर यह पाँच वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगा और नियोक्ता/उद्यमकर्ता को यथा विहित वार्षिक विवरणी दाखिल करनी होगी। पाँच वर्षों के स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण के सफल अनुपालन के पश्चात् नियोक्ता/उद्यमकर्ता को यह विकल्प होगा कि वह या तो स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण से आच्छादित रहे अथवा इसके परे चयन करे। विकल्प का प्रयोग निदेशक बायलर्स, उत्तर प्रदेश के समक्ष लिखित रूप में किया जाना आवश्यक है।

(घ) यदि कोई उद्यमकर्ता या नियोक्ता स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण से समय पूर्व अर्थात 05 वर्ष पूर्व हट जाता है अथवा स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने में विफल हो अथवा इस स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण के अंतर्गत समय से विवरणी दाखिल करने में विफल हो अथवा अपने द्वारा प्रदत्त वचन पत्र का पालन करने में विफल हो अथवा किसी विधि के उल्लंघन का पता चलता है तो विधि के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, और वह स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण के अधीन बने रहने से प्रविरत हो जायेगा। तथापि यदि नये सिरे से आवेदन किया जाता है तो स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण में नये सिरे से सम्मिलित किये जाने पर कोई प्रतिबंध नही होगा। यदि बायलर स्वामी द्वारा बायलर निरीक्षण के 30 दिन के भीतर विवरणी दाखिल नही की जाती है तो बायलर के स्वामी को उसके रजिस्ट्रीकृत ई—मेल के पते पर बढ़ायी गयी 30 दिन की अवधि के भीतर राजकीय कोषागार चालान द्वारा संदाय किये जाने हेतु रू0 5000/—के विलम्बित भुगतान के साथ विवरणी प्रस्तुत करने लिए ई—मेल के माध्यम से कारण बताने हेतु प्रेषित किया जायेगा। इस बढ़ायी गयी अवधि की समाप्ति के पश्चात् इसे स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण के परे चयनित किया जायेगा समझा जायेगा।

(ङ) उपर्युक्त स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण के अंतर्गत स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण में सम्मिलित किए जाने सम्बंधी आवेदन पत्र अनुलग्नक—1 के अनुसार निदेशक, बायलर, उत्तर प्रदेश को और उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित सहायक/उपनिदेशक, बायलर्स को सम्बोधित करके तीन प्रतियां में प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार अनुलग्नक—चार में दाखिल की

जाने वाली विवरणी भी पूर्ण रूप से तीन प्रतियों में दाखिल की जायेगी। जिनमें से दो प्रतियां सुसंगत दस्तावेजों के साथ निदेशक, बायलर को प्रेषित की जायेंगी और उनमें से एक प्रति सम्बंधित सहायक/उप निदेशक, बायलर को भी प्रेषित की जायेंगी ।

(च) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों व विनियमों के उपबन्धों के अनुसार बायलर और बायलर संघटकों का निरीक्षण, भारतीय बायलर अधिनियम 1923 की धारा–2 के खण्ड (ग ख) के अधीन यथा–परिभाषित और भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 4 ञ के अधीन समय–समय पर मान्यता प्राप्त 'सक्षम व्यक्ति' द्वारा किया जायेगा।

(छ) बायलर स्वामी (निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात) और सक्षम व्यक्ति को अपने द्वारा पूर्ण की गयी निरीक्षण रिपोर्ट उक्त अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार निरीक्षण के दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्तर्गत अधिमानत अपनी वेबसाइट पर निदेशक, बायलर उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे सक्षम व्यक्ति द्वारा निरीक्षण ज्ञाप पुस्तिका में सम्यक रूप से चिपकाया जायेगा।

(ज) इस योजना हेतु प्रयोज्य समस्त विधियों का क्रियान्वयन होने तक इस प्रणाली से आच्छादित अनधिक 20 प्रतिशत इकाईयों का वर्ष में एक बार यादृच्छिक रूप में चयन करके निरीक्षण पूरा किया जायेगा। एक बार निरीक्षण कर लिये जाने पर उसी इकाई का निरीक्षण उसी वर्ष अथवा स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्ष निरीक्षण के शेष अवधि में किया जाना सम्भव नही है परन्तु यह कि नियोक्ता/उद्यमकर्ता द्वारा निबंधनों, शर्तों प्रदत्त वचनपत्रों और विधियों का उल्लंघन किया जाना परिलक्षित न हो। तथापि विशिष्ट शिकायत पर मात्र बायलर निदेशक स्वयं किसी भी समय निरीक्षण हेतु आदेश देने में सक्षम होगा।

निदेशक बायलर्स, उत्तर प्रदेश द्वारा इकाईयों की यादृच्छिक निरीक्षण सूची तैयार की जायेगी और जहाँ निदेशक, बायलर द्वारा स्वयं विनिर्दिष्ट रूप में आदेश प्रदान किया जायेगा, वहाँ सामान्यतः उन इकाईयों का निरीक्षण किया जायेगा।

2. सक्षम व्यक्ति और बायलर स्वामी को निदेशक बायलर्स, उत्तर प्रदेश के अनुदेशों और दिशा–निर्देशों का अनुसरण करना होगा और वे उक्त अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों के विरुद्ध किये गये किसी कार्य, चूक या कृत्य के लिए दण्ड का भागीदार और उत्तरदायी होगा।

3. फीड वाटर और ब्लो डाउन वाटर की दैनिक रासायनिक विश्लेषण की माहवार रिपोर्ट आनलाइन सक्षम व्यक्ति को संवीक्षा हेतु और निदेशक, बायलर्स उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. बायलर, का कार्यकरण दवाव उक्त अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार निदेशक, बायलर्स उत्तर प्रदेश द्वारा जारी या आवंटितगत प्रमाणपत्र में यथा विनिर्दिष्ट कार्यकरण दवाव से अधिक नही होगा।

5. यदि बायलर या बायलर संघटकों के उपयोग के दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है तो बायलर को तत्काल बंद कर दिया जायेगा और निदेशक, बायलर्स, उत्तर प्रदेश को उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के उपबन्धों के अनुसार सूचित किया जायेगा।
6. यदि बायलर या बायलर संघटकों में कोई मरम्मत, परिवर्द्धन, परिवर्तन या नवीकरण किया जाना आवश्यक हो तो बायलर स्वामी उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों में निर्धारित उपबंधों का अनुपालन करेगा।
7. बायलर की प्रत्येक पाली में देखभाल उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के उपबन्धों के अनुसार अर्ह बायलर प्रचालन अभियन्ता (अभियन्ताओं) और/या बायलर परिचर (परिचरों) द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।
8. यह अधिसूचना उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के उपबन्धों के अनुसार बायलरों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अति दबाव, निम्न जल स्तर तथा प्रज्जवलन चूक आदि के सापेक्ष संरक्षण के लिए रक्षा के उपाय प्रणाली वाले बायलरों के लिए लागू होगी और इन रक्षा के उपाय के उपबन्ध बायलर स्वामी और सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने होंगे।

राज्य सरकार इस अधिसूचना में किसी समय रूपांतरण कर सकती है या उसे प्रत्याहृत कर सकती है।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 11 /2017/545/36–03–2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को दिनांक जून, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट 04 (खण्ड ख) में प्रकाशित करें तथा कृपया मुद्रित अधिसूचना की 150 प्रतियाँ श्रम अनुभाग–3 बापू भवन उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ एवं 150 प्रतियाँ श्रम आयुक्त उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या 220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर।
3. निदेशक बायलर्स, उ0प्र0 कानपुर।
4. समस्त उप / सहायक निदेशक बायलर्स, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक बायलर्स, उ0प्र0)।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( राजीव शर्मा )
विशेष सचिव।

(As on 07 02.2025)

## INSPECTING AUTHORITIES

| Sl. No. | Name of Inspecting Authority | Area of Operation |
|---|---|---|
| 1. | Director of Boilers,<br>Andhra Pradesh | Andhra Pradesh |
| 2. | Chief Inspector of Boiler,<br>Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh |
| 3. | Chief Inspector of Boilers,<br>Assam | Assam |
| 4. | Chief Inspector of Boilers,<br>Bihar | Bihar |
| 5. | Chief Inspector of Boilers,<br>Chhattisgarh | Chhattisgarh |
| 6. | Chief Inspector of Boilers,<br>Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli | Daman & Diu and Dadra &Nagar Haveli |
| 7. | Chief Inspector of Boilers,<br>Delhi | N.C.T.D. |
| 8. | Chief Inspector of Boilers,<br>Goa | Goa |
| 9. | Director of Boilers,<br>Gujarat | Gujarat |
| 10. | Chief Inspector of Boilers,<br>Haryana | Haryana & Chandigarh |
| 11. | Chief Inspector of Boilers,<br>Himachal Pradesh | Himachal Pradesh |
| 12. | Chief Inspector of Boilers,<br>Jharkhand | Jharkhand |
| 13. | Director of Boilers,<br>Karnataka | Karnataka |
| 14. | Director of Boilers,<br>Kerala | Kerala |
| 15. | Director of Boilers,<br>Madhya Pradesh | Madhya Pradesh |
| 16. | Director of Boilers,<br>Maharashtra | Maharashtra |
| 17. | Chief Inspector of Boilers,<br>Meghalaya | Meghalaya |

(As on 07 02.2025)

| Sl. No. | Name of Inspecting Authority | Area of Operation |
|---|---|---|
| 18. | Chief Inspector of Boilers, Manipur | Manipur |
| 19. | Chief Inspector of Boilers, Mizoram | Mizoram |
| 20. | Chief Inspector of Boilers, Nagaland | Nagaland |
| 21. | Director of Boilers, Odisha | Odisha |
| 22. | Director of Boilers, Punjab | Punjab |
| 23. | Chief Inspector of Boilers, Puducherry | Puducherry |
| 24. | Chief Inspector of Boilers, Rajasthan | Rajasthan |
| 25. | Director of Boilers, Tamil Nadu | Tamil Nadu |
| 26. | Director of Boilers, Telangana | Telangana |
| 27. | Chief Inspector of Boilers, Tripura | Tripura |
| 28. | Director of Boilers, Uttar Pradesh | Uttar Pradesh |
| 29. | Chief Inspector of Boilers, Uttarakhand | Uttarakhand |
| 30. | Director of Boilers, West Bengal | West Bengal |
| 31. | Chief Inspector of Boilers, Andaman & Nicobar Islands | Andaman & Nicobar Islands |
| 32. | M/s LRQA Inspection Services India LLP (Formerly, M/s Lloyd's Register Marine and Inspection Services India LLP) Solitaire Corporate Park, Unit No. 1241, Building No. S-12, 4th Floor, Guru Hargovindji Marg, Andheri-Ghatkopar Link Road, Andheri(East), Mumbai-400 093 | Whole of India |

(As on 07 02.2025)

| Sl. No. | Name of Inspecting Authority | Area of Operation |
|---|---|---|
| 33. | Bureau Veritas (India) Private Limited<br>72 Business Park, 8th floor, Marol Industrial Area, Opposite Seepz Gate No. 2, MIDC CrossRoad "C",<br>Andheri - (East), Mumbai - 400 093,<br>INDIA | Whole of India |
| 34. | M/s Apave TIV India Private Limited,<br>Lakhani's Centrium, 6th Floor,<br>Plot No. 27, Sector 15, CBD Belapur,<br>Navi Mumbai – 400614<br>Maharashtra | Whole of India |
| 35. | M/s TÜV India Pvt. Limited<br>(TUV Nord Group)<br>801, Raheja Plaza-1,<br>L.B.S. Marg,<br>Ghatkopar(West),<br>Mumbai-400 086 | Whole of India |
| 36. | M/s Intertek India Pvt. Limited<br>E-20, Block-B1, Mohan Co-operative Industrial Area,<br>Mathura Road,<br>New De lhi-110 044 | Whole of India |
| 37. | M/s TÜV SÜ D South Asia Pvt. Ltd.<br>TÜ V SÜ D House,<br>Off Saki Vihar Road,<br>Saki Naka, Andheri (East),<br>Mumbai-400 072 | Whole of India |
| 38. | M/s HSB International (India) Private Limited,<br>Unit 404, 4th Floor, "Ozone",<br>Vikram Sarabhai Mills Compound,<br>Sarabhai Road,<br>Vadodara-390 003<br>Gujarat | Whole of India |
| 39. | M/s DNV Business Assurance India Pvt. Ltd.,<br>Equinox Business Park,<br>Tower 3, 3rd Floor,,<br>LBS Marg,<br>Kurla (W), Mumbai-400070 | Whole of India |
| 40. | M/s IRCLASS Systems and Solutions Pvt. Ltd.,<br>Industrial Services, 6th floor,<br>52-A Adi Shankaracharya Marg,<br>Powai, Mumbai-400072 | Whole of India |

(As on 07 02.2025)

| Sl. No. | Name of Inspecting Authority | Area of Operation |
|---|---|---|
| 41. | M/s Certification Engineers International Limited,<br>Engineers India Bhawan,<br>First Floor, Plot No. 85, Sec-11,<br>Kharghar, Raigad Dist.,<br>Navi Mumbai-410 210<br>Maharashtra | Whole of India |
| 42. | M/s TUV Rheinland (India) Private Limited,<br>Graphix Tower (Ground Floor),<br>Plot No. 13A, Sector-62,<br>Noida-201301,<br>Uttar Pradesh | Whole of India |
| 43. | M/s TÜ V Nord Systems GmbH Co.KG<br>Langemarckstr 20,<br>D-451141 Essen,<br>GERMANY | All countries except India |
| 44. | M/s Japan Inspection Company Limited<br>RBM Higasghi Yaesu Bldg. 10F,<br>No. 2-9, I-Chome, hatchobori, Chou-ku<br>Tokyo, 104-0032, Japan | All countries in Asia except India |
| 45. | M/s S.G.S. Korea Company Ltd.<br>Industrial Division, 50,<br>sinsan-ro 29 beon-gil<br>Saha-gu, Busan, Korea (49439) | Korea & Japan |
| 46. | M/s Bureau Veritas SA,<br>La defense,<br>8, Cours du Triangle,<br>92800 Puteaux<br>France | All countries except India |
| 47. | M/s LRQA Verification Limited,<br>1 Trinity Park,<br>Bickenhill Lane,<br>Birmingham B37 7ES,<br>United Kingdom | All countries except India |
| 48. | M/s TÜ V Rheinland AG<br>Am Grauen Stein,<br>D-51105 Koln,<br>Germany | All countries except India |

(As on 07.02.2025)

| Sl. No. | Name of Inspecting Authority | Area of Operation |
|---|---|---|
| 49. | M/s OOO "TekhnoLogicheskieEnergosistime" Office 18, Floor-1, 109, Vezelskaya, Belgorod, 308015 Russia | Europe including Russia,USA and China |
| 50. | M/s ARISE Boiler Inspection & Insurance Company Risk Retention GroupGrand Bay 1,7000 South Edgerton Road Suite 100, Breeksville OH 44141 USA | USA & Canada |
| 51. | M/s TÜ V SUD Industrie Service GmbH Westendstr, 199 80686 Munich Germany | All countries except India |
| 52. | M/s TÜ V Thuringen e.v., Service Centre Erfurt, Melchendorfer Str. 64 99096 Erfurt, Germany | Europe & China |
| 53. | M/s SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd. 9th Building No. 69, KangQiao Industrial Park, Block 1159, KangQiao East Road, Pudong District, Shanghai-201 319 China | China |
| 54. | M/s Intertek Inspection Services UK Limited 5th Floor, 35 Perrymount Road, Haywards Heath, West Sussex, RH16 3BW, United Kingdom | All countries except India |
| 55. | M/s Apave S.A. (Formerly, M/s ABSG Consulting Inc.) 6 rue du General Audran, 92400 Courbevoie, France | All countries except India |
| 56. | M/s The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company, One State Street, P.O. Box 5024, Hartford, CT 06102-5024 U.S.A. | All countries except India |
| 57. | M/s SGS-TÜ V Saar GmbH Am TUEV 1, D-66280 Sulzbach Germany | Europe |

(As on 07 02.2025)

| Sl. No. | Name of Inspecting Authority | Area of Operation |
|---|---|---|
| 58. | M/s Swiss Approval Korea Co. Ltd.,<br>1108, 21, Centum 6-ro,<br>Haeundae-gu,<br>Busan,<br>Republic of Korea | South Korea |
| 59. | M/s Certification Engineers Internation Limited,<br>Engineers India Bhawan,<br>First Floor, Plot No. 85, Sec-11,<br>Kharghar, Raigad Dist.,<br>Navi Mumbai-410 210<br>Maharashtra | All countries except India |
| 60. | M/s TUV-Thueringen-Promservice LLC,<br>5 Koroleva str.,<br>Office 13, Nakhabino work settlement,<br>Moscow Region, 143430<br>Russia | Belarus, Belgium, China,Czech Republic, Iran, Poland,Romania, Russia, SouthKorea, Turkey, Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan |

**Note: As per IBR-1950, Regulation 4H(2)(v), an Inspecting Authority may also work as a Competent Authority for in-house certification of welders.**